

## मॉर्टगेज

### सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

कर्ज संदर्भ क्र. (लीड आईडी): \_\_\_\_\_

**पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लि.** (पहले दीवान हाउसिंग फायनांस कॉर्पोरेशन लि. के रूप में ज्ञात) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं.-601, 6ठीं मंजिल, एमिटी बिल्डिंग, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070, ("कर्जदाता") से (कर्जदार) द्वारा लिए गए कर्ज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी) नीचे वर्णित की गई हैं और उन्हें उस स्वीकृति पत्र, कर्ज समझौते तथा अन्य लेनदेन के दस्तावेजों में निहित शर्तों के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए जो कर्जदाता के पक्ष में कर्जदार द्वारा क्रियान्वित किया गया है (लेनदेन के दस्तावेज). इस एमआईटीसी में उपयोग में लाए गए लेकिन यहाँ प्रकट रूप से परिभाषित नहीं किए गए पूँजीकृत शर्तें और अन्य शब्दों तथा अभियक्तियों का अर्थ उस सीमा तक वही होगा जो कर्ज समझौते में उन्हें प्रदान किया गया है, जब तक कि उसका संदर्भ विसंगतिपूर्ण न हो।

#### 1. कर्ज के विवरण

|                       |   |
|-----------------------|---|
| कुल स्वीकृत कर्ज राशि | रु.   |
| ब्याज दर का प्रकार    | <input type="checkbox"/> निश्चित <input type="checkbox"/> परिवर्तनशील |

#### ब्याज के विवरण

| लोन का प्रकार         | आरपीएलआर | मार्जिन/स्प्रेड | इस एप्रीमेंट के दिनांक पर प्रभावी आरओआई (प्रति वर्ष) |
|-----------------------|----------|-----------------|--|
| होम लोन               |          |                 |  |
| एलएपी                 |          |                 |  |
| इंश्योरेंस लोन        |          |                 |  |
| मॉर्टगेज गारंटी शुल्क |          |                 |  |
| टॉप-अप लोन            |          |                 |  |

|                |   |
|----------------|---|
| दंडात्मक शुल्क | <p>1. डिफॉल्ट के दिनांक से लेकर वास्तविक भुगतान के दिनांक तक पीईएमआई/ईएमआई के डिफॉल्ट होने पर 1. 24% प्रति वर्ष यानी 2% प्रति माह + लागू कर</p> <p>2. कर्जदार द्वारा नीचे वर्णित किसी भी नियम और शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर बकाया राशि पर 2% प्रति माह, ऐसे गैर-अनुपालन के दिनांक से लेकर कर्जदाता के संतोषजनक रूप से इसे ठीक किए जाने तक की अवधि के लिए + लागू कर.</p> <p>निम्नलिखित घटनाओं/क्रियाओं में किसी या सभी का होना लोन अनुबंध के नियमों व शर्तों का वस्तुनिष्ठ उल्लंघन माना जाएगा और इस पर दंडात्मक शुल्क लगेगा</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अनुबंध में दिए गए नियत दिनांक पर या पहले अनुबंध के अंतर्गत पूर्ण या किसी अन्य बकाया राशि में देय बकाया राशि या ईएमआई में चूक करना या भुगतान न करना</li> <li>● अनुबंध या लेनदेन के दस्तावेजों की शर्तों में निर्दिष्ट समय के अंदर या विस्तारित समयावधि के अंदर सिक्योरिटी का निर्माण न करना</li> <li>● कर्जदाता द्वारा निर्धारण के अनुसार संपत्ति या किसी अन्य दस्तावेज के टाइटल डीइस को लेनदेन के स्तावेजों में वर्णन के अनुसार निर्धारित समय में कर्जदाता के पास संपत्ति के टाइटल डीइस को जमा न करना</li> <li>● यदि कर्जदार किसी भी समय अपने पास निहित संपत्ति के सभी टाइटल दस्तावेज, या कोई जानकारी/दस्तावेज/पीडीसी/एनएसीएच जैसा कि समय समय पर मांगा जाता है, कर्जदाता को प्रदान करने में विफल रहता है</li> <li>● लोन आवेदन या कर्जदाता को दिए गए फायनांशियल्स में कर्जदार द्वारा दी गई कोई जानकारी और/या वित्तीय सहायता के लिए कर्जदाता को दिया गया कोई अन्य दस्तावेज/प्रमाणपत्र/रसीद/कथन भ्रामक या गलत पाया जाता है</li> <li>● यदि कर्जदार लोन राशि या उसके किसी हिस्से को लोन के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन</li> </ul> |
|----------------|---|

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | <p>के लिए दुरुपयोग किया जाता है या यदि जिस प्रयोजन के लिए लोन लिया गया है, वह अवैध हो जाता है</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>एनएसीएच अनुदेश या एनएसीएच अनुदेश के निरस्तीकरण को प्रस्तुत नहीं करने के लिए अनुबंध/कर्जदार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत किसी मोड के भुगतान को रोकने के लिए कर्जदाता को दिए गए किसी निर्देश के अंतर्गत किसी भुगतान के निर्देश का अनादर होना</li> <li>लेनदेन दस्तावेजों की शर्तों के अंतर्गत कर्जदाता द्वारा की गई किसी मांग से कम भुगतान करना</li> <li>यदि संपत्ति के निर्माण में स्वीकृत प्लान से कोई विचलन होता है, निर्धारित अवधि के अंदर निर्माण पूरा नहीं होता है या संपत्ति के निर्माण के संदर्भ में प्राप्त किसी स्वीकृति को वापस लिया जाता है</li> <li>सिक्योरिटी का उपयोग बदलने या सिक्योरिटी या उसके किसी हिस्से का खोना, निपटाया जाना, उपहार में दिया जाना या मूल्य-हास होने के मामले में और कर्जदार का सिक्योरिटी कवर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सिक्यारिटी प्रदान करने में नाकाम रहना, या सिक्योरिटी पर कोई अटैचमेंट या लापरवाही या उसका कोई हिस्सा जैसा कि कर्जदाता द्वारा निर्धारित किया गया है या यदि प्रदान किया सिक्योरिटी हित लागू न करने के स्वरूप का हो जाता है</li> <li>यदि कर्जदाता से पूर्व लिखि सहमति के बिना सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का कोई हिस्सा किराए पर दिया जाता है, लीव एंड लाइसेंस पर दिया जाता है, बेचा, निपटाया जाता है, प्रभारित किया जाता है, भार ग्रस्त किया जाता है या अन्यथा किसी भी तरह से पृथक किया जाता है</li> </ul> |
| ब्याज के रिसेट का दिनांक | मिन्न ब्याज दर कर्जदाता द्वारा सूचित संभावित दिनांक से अर्जित और देय होगी।   |

#### कर्ज की चुकौती के विवरण

|                           |                                  |                                |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| ईएमआई चुकौती की बारंबारता | <input type="checkbox"/> पाक्षिक | <input type="checkbox"/> मासिक |
| लोन का प्रकार             | लोन<br>कुल                       | लोन की अवधि<br>(माहीने में)    |
| होम लोन                   |                                  |                                |
| एलएपी                     |                                  |                                |
| इंश्योरेंस लोन            |                                  |                                |
| मॉर्टगेज गारंटी शुल्क     |                                  |                                |
| टॉप-अप लोन                |                                  |                                |
| कुल लोन राशि              |                                  |                                |
| मोरेटोरियम या सब्सिडी     |                                  |                                |

कर्जदार समझता और सहमत है कि आरपीएलआर में संशोधन से ईएमआई और/या लोन की अवधि या दोनों में परिवर्तन हो सकता है। कर्जदार के पास (1) ईएमआई में वृद्धि या (2) लोन अवधि में वृद्धि या दोनों विकल्पों के मेल का विकल्प चुनने का पर्याय होता है।

#### कर्ज का प्रयोजन और अंतिम उपयोग

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| कर्ज का प्रयोजन और अंतिम उपयोग | प्रयोजन:<br>अंतिम उपयोग: |
|--------------------------------|--------------------------|

कर्जदार एतद्वारा घोषणा, कथन, सूचित करता, पुष्टि और वचन देता है कि:

- लोन का उपयोग केवल यहाँ वर्णित प्रयोजन के लिए किया जाएगा और लोन के उपयोग के प्रयोजन को लोन की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा या अंतिम उपयोग में ऐसा परिवर्तन केवल कर्जदाता की पूर्व लिखित अनुमति से ही होगा। लोन का उपयोग किसी भी अवैध, असामाजिक, उधार देने, किसी भी सद्वाबाजी की गतिविधियों, अचल संपत्ति में सद्वा निवेश, आगे उधार देने या प्रतिभूतियों, डिबेंचर या शेयर मार्केट में निवेश के लिए नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त घोषणा का कोई भी उल्लंघन लोन एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और कर्जदाता मेरे/हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसमें शेष लोन को रोकना/लोन वापस लेना शामिल है, जैसा कि कर्जता उचित समझे।

#### कर्ज पर जमानत/रेहन

|                        |  |
|------------------------|--|
| कर्ज के लिए जमानत/रेहन | कर्ज के लिए जमानत सामान्य रूप से जिस संपत्ति पर कर्ज दिया जा रहा है उस पर जमानत संबंधी हितलाभ और/या कोई अन्य रेहन/अंतरिम जमानत होगी जैसा कि कर्जदाता द्वारा आवश्यक हो सकता है। |
| (क) संपत्ति का वर्णन   |  |

|  |  |
|--|--|
| (ख) गारंटी: गारंटर/रों के नाम<br>(यदि हैं) |  |
| (ग) अतिरिक्त जमानत (यदि हो)                |  |

(5) कर्जदार का हस्ताक्षर

**ब्याज दर में बदलावों की सूचना के माध्यम:** कर्जदाता अपनी आधिकारिक वेबसाइट [www.piramalfinance.com](http://www.piramalfinance.com) या अपने कार्यालयों में डिस्प्ले के माध्यम से/पत्राचार के पते पर ई-मेल/पत्र भेजकर और/या सामान्य घोषणाओं के ज़रिए समय समय पर ब्याज दरों में किन्हीं बदलावों की सूचना कर्जदार को देने का प्रयास करेगा.

## 2. शुल्कों और अन्य प्रभारों की अनुसूची:

आवेदन पर/कर्ज की अवधि के दौरान यथा प्रयोजनीय शुल्क व अन्य प्रभार नीचे दिए अनुसार हैं. ये कर्जदाता द्वारा उसकी अंतर्गत नीति के अनुसार समय समय पर संशोधनों के अधीन हैं और ऐसा कोई भी संशोधन कर्जदाता द्वारा उसकी वेबसाइट या उसकी शाखाओं या ऐसे किसी अन्य माध्यम से जैसा कि कर्जदाता उचित समझे, सूचित किया जाएगा.

| अनु. क्र. | A. शुल्कों और अन्य प्रभारों की अनुसूची  |  |
|-----------|---|--|
| 1         | कर्ज प्रक्रिया शुल्क  | ● लोन राशि के 5% तक + लागू कर  |
| 2         | आंशिक भुगतान/पूर्व-समापन प्रभार   | ● तयशुदा दर एचएल: पूर्व चुकौती किए जा रहे लोन के मूलधन का 2%+ लागू कर व्यवसाय के प्रयोजन के लिए<br>● एनएचएल (इंडिविजुअल): पूर्व चुकौती किए जा रहे लोन के मूलधन का 4%+ लागू कर<br>● गैर-इंडिविजुअल द्वारा एनएचएल: पूर्व चुकौती किए जा रहे लोन के मूलधन का 4%+ लागू कर |
| 3         | सीईआरएसएआई (सरसई) शुल्क   | वास्तविक राशियों पर + लागू कर  |
| 4         | कर्ज पूर्व समापन स्टेटमेंट (विवरण)  | रु. 1000/- + लागू कर   |
| 5         | कर्जदाता के पास जमा किए गए दस्तावेजों की सूची   | रु. 1000/- + लागू कर   |
| 6         | कर्ज चुकौती अनुसूची (केवल कागजी प्रति के लिए लागू)  | रु. 500/- + लागू कर  |
| 7         | कर्ज चुकौती तरीके में बदलाव   | रु. 1000/- + लागू कर   |
| 8         | चेक सौंपने के बाद कर्ज निरस्तीकरण   | रु. 5000/- + अर्जित और देय ब्याज + लागू कर   |
| 9         | प्रतिलिपि अनापति प्रमाणपत्र/अनापति निर्गमन शुल्क  | रु. 500/- + लागू कर  |
| 10        | खाते का ब्यौरा (केवल कागजी प्रतियों के लिए लागू)  | रु. 500/- + लागू कर  |
| 11        | दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपि  | रु. 750/- + लागू कर  |
| 12        | ब्याज दर रूपांतरण शुल्क (तयशुदा से तयशुदा या परिवर्तनशील से परिवर्तनशील या तयशुदा से परिवर्तनशील या परिवर्तनशील से तयशुदा, जैसा समय समय पर लागू हो) | बकाया मूलधन के 1% तक + लागू कर   |
| 13        | संपत्ति के मूल दस्तावेजों की पुनर्प्रस्ति   | रु. 1000/- + लागू कर   |
| 14        | प्रशासन प्रभार  | 5000/- + तक लागू कर  |
| 15        | स्टैम्प शुल्क/मुहर प्रभार   | वास्तविक राशियों पर + लागू कर  |
| 16        | वैधानिक शुल्क/विधिक प्रभार  | वास्तविक राशियों पर + लागू कर  |
| 17        | ईएमआई दिनांक परिवर्तन   | रु. 1000/- + लागू कर   |
| 18        | कागजी कार्रवाई प्रभार   | 1000/- + तक लागू कर  |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 19 | अभिरक्षा शुल्क प्रति माह (30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं किए गए दस्तावेज) | रु. 500/- + लागू कर |
|----|--|---------------------|

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| अनु. क्र. | <b>B. कलेकशन और कानूनी शुल्क</b>                         |  |
| 1         | लोन चुकौती इंस्ट्रॉमेंट डिसऑनर शुल्क                     | रु. 750/- प्रति मामला  |
| 2         | विधिक शुल्क  | वास्तविक राशियों पर + लागू कर  |
| 3         | रिपजेशन शुल्क  | न्यूनतम 25,000/- या वास्तविक खर्चों पर + लागू कर, जो भी उच्चतर हो            |
| 4         | नकद/बकाया ईएमआई/ पीईएमआईआई कलेकशन शुल्क                  | रु. 500/- + लागू कर प्रति उदाहरण   |
| 5         | केवल एनपीडीसी मामलों के लिए ईएमआई / पीईएमआई कलेकशन शुल्क | रु. 500/- + लागू कर प्रति उदाहरण (वितरण के दिनांक से पहले 3 महीने को छोड़कर) |
| 6         | रिपजेस्ट संपत्ति के लिए रखरखाव शुल्क                     | वास्तविक राशियों पर + लागू कर  |

#### (6) कर्जदार का हस्ताक्षर

#### टिप्पणी:

- उपरोक्त शुल्क और/या प्रभारों पर लागू कर कर्जदार द्वारा अदा किए जाएंगे.
- कर्ज/ कर्ज के आवेदन पर कोई अन्य सरकारी उगाही, प्रभार, कर इत्यादि, जब भी लागू होंगे, कर्जदार द्वारा अदा किए जाएंगे.
- यदि कर्ज स्वीकृत /वितरित नहीं होता है तो शुल्क लौटा दिया जाएगा:  
कर्जदार द्वारा अदा किया गया प्रक्रिया शुल्क, यदि हो, लौटाया जा सकता है जो उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट न्यूनतम रिटेंशन राशि के कर्जदाता द्वारा रिटेंशन के अधीन है.
- कर्जदार को समय समय पर वेबसाइट पर अद्यतनीकृत शुल्कों और प्रभारों की स्वयं जानकारी रखनी चाहिए.
- मॉर्टगेज गारंटी शुल्क मॉर्टगेज गारंटी के लिए प्रीमियम राशि शुल्क है.

#### 3. बीमाकरण:

संपत्ति का बीमा: कर्जदार को सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति, कर्ज के लंबित रहने के दौरान हमेशा उचित और उपयुक्त रूप से सभी जोखिमों जैसे भूकंप, आग, बाढ़, विस्फोट, तूफान, चक्रवात, नागरिक बलवा इत्यादि के प्रति बीमित हो और कर्जदाता को पॉलिसी/पॉलिसियों के अंतर्गत एकमात्र लाभार्थी बनाया जाना चाहिए.

कर्जदार का बीमा: कर्जदार अपने लिए स्वास्थ्य और/या लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकता है और पॉलिसी/पॉलिसियों के अंतर्गत कर्जदाता एकमात्र लाभार्थी होता है.

#### 4. कर्ज के वितरण के लिए शर्तें

##### कर्जदार को

- स्वीकृति पत्र/लेन-देन के दस्तावेजों में वर्णन के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेज जमा कराने चाहिए
- कर्जदाता को अपने रोजगार/संपर्क विवरणों (मोबाइल फोन नंबर, ई-मेल एड्रेस, पत्राचार का पता) में किसी बदलाव की सूचना देनी चाहिए.
- लिखित रूप में कर्ज के वितरण का निवेदन (कर्जदाता द्वारा सुझाए गए तरीके के अनुसार). ऐसा निवेदन तब किया हुआ माना जाएगा जब वह हाथ, मेल या कर्जदाता की वेबसाइट [www.piramalfinance.com](http://www.piramalfinance.com) के माध्यम से या समय समय पर कर्जदाता द्वारा घोषित किए जा सकने वाले किसी अन्य स्वरूप/पद्धति द्वारा किया जाएगा.
- लेन-देन के दस्तावेज में किए गए वर्णन के अनुसार कर्ज के वितरणों के लिए सभी पूर्वशर्तों का पालन किया जाना चाहिए.
- सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास संपत्ति (जमानत) का संपूर्ण, स्पष्ट और बिक्री योग्य अधिकार हो और उक्त संपत्ति पूर्णतया बोझमुक्त और किसी भी तरह की देयता से मुक्त हो.
- सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियाँ पैदा न हों जो वर्तमान कर्ज के लिए कर्ज समझौते के तहत कर्जदार की बाध्यताओं को पूरा करना उसके लिए असंभव न बन जाएँ.
- सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्जदार द्वारा क्रियान्वित किए गए/जा रहे कर्ज समझौते की दृष्टि से चूक की कोई घटना न हो.

#### 5. गृह कर्जों के लिए नीचे दी गई शर्तें लागू होंगी:

- स्वीकृति पत्र में दिए अनुसार अपनी योगदान की राशि का भुगतान करें (फ्लैट की कुल लागत (कम/घटा) ऋण कर्ज की राशि).
- सुनिश्चित करें कि विनियामक/ विकास प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार सभी यूजर, रूपांतरण शुल्क/विकास शुल्क और कर समय समय पर कर्जदार

द्वारा अदा किए गए हों और रसीद के रूप में उसका प्रमाण कर्जदाता के पास जमा किया गया हो।

3. नियमित रूप से कर्जदाता को जानकारी प्रदान करें, जिसमें शामिल हैं निर्माण में प्रगति/विलंब, संपत्ति को किसी बड़ी क्षति, करों का भुगतान नहीं होने और विधिक उगाहियों और शुल्कों के बारे में विवरण, जैसा कि समय समय पर संपत्ति के बारे में लागू हो।
4. सुनिश्चित करें (वास्तुकला प्रमाणपत्र और शपथ पात्र जमा करते हुए) कि हाथ लिया गया निर्माण कार्य मान्य/स्वीकृत नक्शे के अनुसार हो और आपने स्वयं संतुष्टि कर ली हो कि प्रोजेक्ट की ये सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ डेवलपर द्वारा (संपत्ति की पुनर्विक्रय में खरीदारी के मामले में विक्रेता द्वारा) प्राप्त की जा चुकी हैं।
5. संबंधित विनियामक/विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पूर्णता प्रमाणपत्र को जमा करना सुनिश्चित करें। वास्तुकला प्रमाणपत्र कि स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
6. कर्ज राशि के किसी पूर्व संवितरण की धनराशि के उपयोग पर कर्जदाता को संतुष्ट करना और उसका समुचित प्रमाण प्रदान करना।

## 5. बकाया राशि की वसूली के लिए पालन की जानेवाली संक्षिप्त सांकेतिक प्रक्रिया

कर्ज के समझौते में वर्णित किसी भी दोष के मामले में, कर्जदार द्वारा कर्जदाता को देय सारी बकाया राशि देय होगी और कर्जदाता के पास कर्ज समझौते के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ/उपाय करने का अधिकार सुरक्षित है जिसमें शामिल है कानून के तहत उपलब्ध समाधान के अनुसार जमानत को लागू करते हुए बकाया ब्याज वसूलना, बकाया राशि की वसूली करना, लेकिन जो यहीं तक सीमित नहीं है। वास्तविक वसूली की प्रक्रिया हर लेनदेन की परिस्थितियों के आधार पर कर्जदाता द्वारा निर्धारित की जाएगी। वसूली संबंधी सारे खर्च/शुल्क कर्जदार द्वारा देय होंगे।

## 6. दिनांक जब वार्षिक बकाया बैलेंस कथन या विवरण जारी किया जाएगा: कर्जदार के निवेदन पर।

### 7. ग्राहक सेवाएँ:

1. ग्राहक सेवा संबंधी प्रश्न जिसमें दस्तावेजों की आवश्यकता शामिल है, हमारी वेबसाइट [www.piramalfinance.com](http://www.piramalfinance.com) पर दिए गए हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से कर्जदाता से संपर्क किया जा सकता है या हमें [www.customercare@piramal.com](mailto:customercare@piramal.com) पर ईमेल किया जा सकता है।
2. कर्जदाता की सभी शाखाओं के संबंध में ग्राहक सेवा के लिए शाखा स्थानों और कार्य अवधि के विवरण [www.piramalfinance.com](http://www.piramalfinance.com) पर उपलब्ध हैं।
3. अपनी निकटतम शाखा पर कर्जदाता के ग्राहक सेवा अधिकारी से या बिंदु (क) में दिए अनुसार किसी सर्विस चैनल्स के माध्यम से कार्य अवधि के अंदर संपर्क करें:
  1. दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपि, जो निवेदन के दिनांक से 15 कार्य दिनों में प्रदान की जा सकती है। आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होंगे।
  2. कर्ज समाप्त होने के दिनांक से 30 कार्य दिनों के अंदर मूल दस्तावेजों को लौटाया जाएगा। यदि दस्तावेजों को जारी करने के नियत दिनांक के बाद दस्तावेज जमा कराए जाते हैं तो आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होंगे।
  3. कर्ज खाता विवरण/ब्यौरा, जो निवेदन की प्राप्ति के 4 कार्य दिनों के अंदर प्रदान किए जा सकते हैं।

### 8. शिकायत निवारण:

ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ कर्जदार प्रदान की जानेवाली सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे मामलों को प्रमुखता से दर्शने और शिकायत दर्ज करने के लिए कर्जदार निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकता है:

1. कर्जदार [www.piramalfinance.com](http://www.piramalfinance.com) पर वर्णित टोल फ्री नंबर के माध्यम से या [customercare@piramal.com](mailto:customercare@piramal.com) पर ईमेल करके या व्यवहार की संबंधित शाखा के शाखा प्रचालन प्रबंधक से वेबसाइट पर दिए अनुसार कार्य अवधि के अंदर संपर्क करें।
2. यदि कर्जदार दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या उसकी समस्या का समाधान 15 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो कर्जदार [customercare@piramal.com](mailto:customercare@piramal.com) पर अपनी शिकायत आगे बढ़ा सकता है।
3. यदि शिकायत का समाधान 15 दिन की अवधि के बाद भी नहीं हो पाता है तो कर्जदार मामले को “नोडल ऑफिसर – हेतल परिहार”, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड: यूनिट नंबर-601, 6ठीं मंजिल, पीरामल अमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई 400070, संपर्क नं.: 022-71740555, ईमेल: [nodal.officer@piramal.com](mailto:nodal.officer@piramal.com). यदि कर्जदार अब भी जवाब से संतुष्ट नहीं है तो कर्जदार नेशनल हाउसिंग बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से लिंक <https://grids.nhbbonline.org.in> पर ऑनलाइन मोड में अपनी शिकायता दर्ज कर सकता है या नेशनल हाउसिंग बैंक, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, विनियमन एवं निगरानी विभाग, नेशनल हाउसिंग बैंक, 4ठीं मंजिल, कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 को लिख सकते हैं।

### 9. करों के भुगतान के प्रति देयता:

कर्जदार के लिए सभी भुगतान और देय राशियाँ लागू करों के अधीन होंगी। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, ‘लागू करों’ का अर्थ होगा कोई और सभी वर्तमान या भावी कर, लेवी, शुल्क, ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी प्रभार, शुल्क, कटौती या कर के स्वरूप में रोकना, या ब्याज या जुर्माना या सरचार्ज, उपकर या ऊपर संदर्भित किन्हीं मदों के संबंध में जुर्माना, जहाँ कहीं भी लगाया, लागू किया, संग्रहित, रोका या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा आकलित किया गया (जिसमें शामिल हैं कर काटने/स्रोत पर कर कटौती की बाध्यताएँ लेकिन जो यहीं तक सीमित नहीं हैं), जो किसी लेनदेन, लेनदेन के दस्तावेज, वित्त पोषण या दी गई सुविधा, संपत्ति का अधिग्रहण या प्रावधान, कोई धनराशि या किसी लेनदेन के संबंध में देय राशि या उसका कोई हिस्सा या अन्यथा, लागू कानूनों के अनुसार, और इसमें शामिल होगा कर लाभ की कोई हानि, कटौती, क्रेडिट या सेट-ऑफ़; एतद्वारा सहमति दी जाती है कि कर्ज के विस्तृत नियमों व शर्तों के लिए,

यहाँ वर्णित पक्ष अपने द्वारा क्रियान्वित/क्रियान्वित किए जा रहे कर्ज और अन्य दस्तावेजों का संदर्भ लेंगे और उन पर निर्भर रहेंगे.

उपरोक्त नियमों और शर्तों को कर्जदार/ द्वारा पढ़ा जा चुका है

श्री/ श्रीमती द्वारा कर्जदार को पढ़कर सुनाया जा चुका है और उसे कर्जदार द्वारा समझा जा चुका है.

---

(कर्जदार का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

---

(कर्जदाता के प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

## पर्सनल लोन

### लोन की अनुसूची/सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

|                                   |   |  |                                   |                     |  |               |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 1                                 | क्रियान्वयन का स्थान  | (ये वह स्थान होगा जहाँ कर्जदाता ने लोन एप्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं)   |                                   |                     |  |               |
| 2                                 | क्रियान्वयन का दिनांक   | वह दिनांक होगा जिस दिन कर्जदाता ने लोन एप्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं.   |                                   |                     |  |               |
| 3                                 | कर्जदाता का नाम   | नाम: पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लि. पंजीकृत कार्यालय का पता: यूनिट नंबर-601, 6ठीं मंजिल, अमिटी बिल्डिंग, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 और इसका एक शाखा कार्यालय ई2/22, दूसरी मंजिल, झंडेवाला एक्सटेंशन ,नई दिल्ली 110055 में है.  |                                   |                     |  |               |
| 4                                 | कर्जदार का विवरण  | ए) नाम   |                                   |                     |  |               |
|                                   |   | बी) पता  |                                   |                     |  |               |
|                                   |   | सी) ईमेल एड्रेस  |                                   |                     |  |               |
|                                   |   | डी) मोबाइल नंबर  |                                   |                     |  |               |
| 5                                 | लोन राशि  | लोन राशि: रु. (रूपए मात्र)   |                                   |                     |  |               |
| 6                                 | लोन की अवधि   |  |                                   |                     |  |               |
| 7                                 | ब्याज दर (आरओआई)  | % प्रति वर्ष (फिक्स्ड)   |                                   |                     |  |               |
| 8                                 | पुनर्भुगतान अनुसूची   | पुनर्भुगतान अवधि (महीनों में):<br>रु. की समान मासिक किस्त. ईएमआई के पुनर्भुगतान की आवृत्ति: मासिक ईएमआई की देय तिथि प्रत्येक महीने की तारीख होगी जब तक कि कर्जदाता द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए.   |                                   |                     |  |               |
| 9                                 | कर्ज का प्रयोजन और अंतिम उपयोग  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">कर्ज का प्रयोजन और<br/>अंतिम उपयोग</td> <td>प्रयोजन:- व्यक्तिगत</td> </tr> <tr> <td></td> <td>उपयोग:- विवाह</td> </tr> </table> <p>कर्जदार एतद्वारा घोषणा, कथन, सूचित करता, पुष्टि और वचन देता है कि:</p> <p>(ए) लोन का उपयोग केवल यहाँ वर्णित प्रयोजन के लिए किया जाएगा और लोन के उपयोग के प्रयोजन को लोन की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा या अंतिम उपयोग में ऐसा परिवर्तन केवल कर्जदाता की पूर्व लिखित अनुमति से ही होगा. लोन का उपयोग किसी भी अवैध, असामाजिक, उधार देने, किसी भी सद्व्यावहारी की गतिविधियों, अचल संपत्ति में सद्व्यावहारी, आगे उधार देने या प्रतिभूतियों, डिबेंचर या शेयर मार्केट में निवेश के लिए नहीं किया जाएगा.</p> <p>(बी) उपरोक्त वचनबद्धता का कोई भी उल्लंघन लोन एप्रीमेंट की शर्तें और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और कर्जदाता मेरे/हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसमें शेष लोन को रोकना/लोन वापस लेना शामिल है जैसा कि कर्जदाता उचित समझे.</p> | कर्ज का प्रयोजन और<br>अंतिम उपयोग | प्रयोजन:- व्यक्तिगत |  | उपयोग:- विवाह |
| कर्ज का प्रयोजन और<br>अंतिम उपयोग | प्रयोजन:- व्यक्तिगत   |  |                                   |                     |  |               |
|                                   | उपयोग:- विवाह   |  |                                   |                     |  |               |
| 10                                | स्वीकृति पत्र   | दिनांक:  |                                   |                     |  |               |
| 11                                | बीमा प्रीमियम राशि  | रु./- (लोन राशि से कटौती की जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान किया जाएगा)  |                                   |                     |  |               |
| A.                                | शुल्क और अन्य प्रभारों की अनुसूची: आवेदन पर/लोन की अवधि के दौरान लागू शुल्क और प्रभार जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है समय-समय पर कर्जदाता द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार तय किए गए संशोधनों के अधीन हैं और ऐसे किसी भी संशोधन को कर्जदाता द्वारा अपनी वेबसाइट <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> या अपनी शाखाओं या ऐसे अन्य माध्यम से सूचित किया जाएगा जिसे कर्जदाता उचित समझे. प्रसंस्करण शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क वितरण के समय लोन राशि से काटे जाएंगे. |  |                                   |                     |  |               |
| (i)                               | लोन प्रक्रिया शुल्क   | लोन राशि के 5% तक + लागू कर यानी रु./- (लोन राशि से कटौती की जाएगी)  |                                   |                     |  |               |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| (ii)   | दंडात्मक शुल्क  | <p><b>1.</b> भुगतान में चूक के दिनांक से किस्त/ईएमआई अदा न करने से लेकर वास्तविक भुगतान के दिनांक तक अभुगतानित राशि पर 24% प्रति वर्ष यानी 2% प्रति माह।</p> <p><b>2.</b> कर्जदार द्वारा नीचे वर्णित नियमों और शर्तों का पालन न करने पर बकाया राशि पर 2% प्रति माह, ऐसे गैर-अनुपालन की तिथि से शुरू होने वाली अवधि के लिए जब तक कि इसे कर्जदाता की संतुष्टि के अनुसार ठीक नहीं कर दिया जाता + लागू कर</p> <p>निम्नलिखित घटनाओं/क्रियाओं में किसी या सभी का होना लोन अनुबंध के नियमों व शर्तों का वस्तुनिष्ठ उल्लंघन माना जाएगा और इस पर दंडात्मक शुल्क लगेगा</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अनुबंध में दिए गए नियत दिनांक पर या पहले अनुबंध के अंतर्गत पूर्ण या किसी अन्य बकाया राशि में देय बकाया राशि या ईएमआई में चूक करना या भुगतान न करना</li> <li>● यदि कर्जदार कर्जदाता को समय-समय पर कर्जदाता द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी/दस्तावेज/ पीडीसी/एनएसीएच प्रस्तुत करने में विफल रहता है</li> <li>● लोन आवेदन या कर्जदाता को दिए गए फायनांशियल्स में कर्जदार द्वारा दी गई कोई कोई जानकारी और/या वित्तीय सहायता के लिए कर्जदाता को दिया गया कोई अन्य दस्तावेज/ प्रमाणपत्र/ रसीद/ कथन भ्रामक या गलत पाया जाता है</li> <li>● यदि कर्जदार लोन राशि या उसके किसी हिस्से को लोन के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए दुरुपयोग किया जाता है या यदि जिस प्रयोजन के लिए लोन लिया गया है, वह अवैध हो जाता है</li> <li>● एनएसीएच अनुदेश या एनएसीएच अनुदेश के निरस्तीकरण को प्रस्तुत नहीं करने के लिए अनुबंध/कर्जदार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत किसी मोड के भुगतान को रोकने के लिए कर्जदाता को दिए गए किसी निर्देश के अंतर्गत किसी भुगतान के निर्देश का अनादर होना</li> <li>● लेनदेन दस्तावेजों की शर्तों के अंतर्गत कर्जदाता द्वारा की गई किसी मांग से कम भुगतान करना</li> </ul> |
| (iii)  | पूर्व-भुगतान शुल्क  | रु. 0   |
| (iv)   | पूर्व-समापन शुल्क   | रु. 0   |
| (v)    | प्रशासनिक शुल्क   | रु. 5000 तक + लागू कर   |
| (vi)   | ईएमआई दिनांक परिवर्तन                                       | रु. 1000/- + लागू कर  |
| (vii)  | कर्ज पूर्व-समापन कथन  | रु. 0   |
| (viii) | कर्ज चुकौती अनुसूची (केवल विवरण की कागजी प्रति के लिए लागू) | रु. 500/- + लागू कर   |
| (ix)   | पुनर्भुगतान खाते की अदला-बदली                               | रु. 1000/- + लागू कर  |
| (x)    | डुप्लीकेट नो ड्यूज सर्टिफिकेट/एनओसी जारी करने का शुल्क      | रु. 500/- + लागू कर   |
| (xi)   | खाता विवरण शुल्क (केवल विवरण की भौतिक प्रति के लिए लागू)    | रु. 500/- + लागू कर   |
| (xii)  | दस्तावेजों की फोटोकॉपी                                      | लागू नहीं   |
| (xiii) | स्टाम्प ड्यूटी/ फ्रैंकिंग शुल्क                             | वास्तविक + लागू कर  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| (xiv) | वितरण/चेक हैंडओवर के बाद कर्ज रद्द करना                   | रु. 3000 + अर्जित ब्याज और देय + लागू कर  |
| (xv)  | वैधानिक शुल्क   | वास्तविक + लागू कर  |
| (xvi) | दस्तावेजीकरण शुल्क  | रु. 1,000 तक + अर्जित ब्याज और देय राशि   |
| B.    | कलेक्शन और कानूनी शुल्क                                   |   |
| (i)   | लोन चुकौती इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर शुल्क                      | रु. 750/- प्रति मामला   |
| (ii)  | विधिक शुल्क   | वास्तविक राशियों पर + लागू कर   |
| (iii) | केवल एनपीडीसी मामलों के लिए ईएमआई / पीईएमआई कलेक्शन शुल्क | रु. 500/- + लागू कर प्रति मासिक<br>(वितरण के दिनांक से पहले 3 महीने को छोड़कर)  |
| (iv)  | रिपजेस्ट संपत्ति के लिए रखरखाव शुल्क                      | वास्तविक राशियों पर + लागू कर   |
| 12.   | ग्राहक सेवाएँ:  | <p>1. ग्राहक सेवा संबंधी प्रश्न जिसमें दस्तावेजों की आवश्यकता शामिल है, हमारी वेबसाइट <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> पर दिए गए हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से कर्जदाता से संपर्क किया जा सकता है या हमें <a href="mailto:www.customercare@piramal.com">www.customercare@piramal.com</a> पर ईमेल किया जा सकता है</p> <p>2. कर्जदाता की सभी शाखाओं के संबंध में ग्राहक सेवा के लिए शाखा स्थानों और कार्य अवधि के विवरण <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> पर उपलब्ध हैं.</p>  |
| 13.   | शिकायत निवारण:  | <p>ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ कर्जदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं है। ऐसे मामलों को उजागर करने और शिकायत दर्ज करने के लिए कर्जदाता निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकता है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कर्जदाता <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> पर वर्णित टोल फ्री नंबर के माध्यम से या <a href="mailto:customercare@piramal.com">customercare@piramal.com</a> पर ईमेल करके या व्यवहार की संबंधित शाखा के शाखा प्रचालन प्रबंधक से वेबसाइट पर दिए अनुसार कार्य अवधि के अंदर संपर्क करें.</li> <li>यदि कर्जदाता दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या उसकी समस्या का समाधान 15 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो कर्जदाता <a href="mailto:grievances@piramal.com">grievances@piramal.com</a> पर अपनी शिकायत आगे बढ़ा सकता है.</li> <li>यदि शिकायत का समाधान 15 दिन की अवधि के बाद भी नहीं हो पाता है तो कर्जदाता मामले को “नोडल ऑफिसर – हेतल परिहार”, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड: यूनिट नंबर-601, 6ठीं मंजिल, पीरामल अमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई 400070. संपर्क नं.: 022-71740555, ईमेल: <a href="mailto:nodal.officer@piramal.com">nodal.officer@piramal.com</a>.</li> <li>यदि कर्जदाता अब भी जवाब से संतुष्ट नहीं है तो कर्जदाता नेशनल हाउसिंग बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से लिंक <a href="https://grids.nhbbonline.org.in">https://grids.nhbbonline.org.in</a> पर ऑनलाइन मोड में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है या नेशनल हाउसिंग बैंक, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, विनियमन एवं निगरानी विभाग, नेशनल हाउसिंग बैंक, 4ठीं मंजिल, कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 को लिख सकते हैं।</li> </ol> |

### ई-स्टैम्पिंग और ई-हस्ताक्षर

- कर्जदात के प्रचालन में आसानी के लिए, कर्जदाता (टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म) की ऑनलाइन/डिजिटल सेवाओं और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लोन दस्तावेज तैयार किया जाएगा और कर्जदात नई दिल्ली में समझौते पर ई-स्टैम्प लगाने के लिए सहमति देता है, जहाँ कर्जदाता लोन एग्रीमेंट को क्रियान्वित करेगा और जिसे समझौते के क्रियान्वयन का स्थान माना जाता है और आधार पर आधारित ई-सिप्रेचर के माध्यम से इन लोन एग्रीमेंट्स को स्वीकार और हस्ताक्षरित करेगा।
- कर्जदात लोन एग्रीमेंट को पढ़ने, समझने और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होने और स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में सत्यापन कोड/वन टाइम पासवर्ड

(ओटीपी) दर्ज करके आधार आधारित ई-सिग्नेचर के माध्यम से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन लोन एग्रीमेंट्स की पुष्टि, पूर्ण और हस्ताक्षर कर रहा है, जिसके बाद कर्जदाता द्वारा कर्ज का वितरण पूरा किया जाएगा।

- कर्जदाता इस बात को स्वीकार करता है कि वन-टाइम पासवर्ड, एक्सेस कोड या सुरक्षित प्रमाणीकरण के अन्य रूपों की प्राप्ति पर, कर्जदाता यह मान लेगा कि ऐसा प्रमाणीकरण कर्जदाता द्वारा प्रदान किया गया है और यह सुनिश्चित करना कर्जदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वन-टाइम पासवर्ड, एक्सेस कोड या सुरक्षित प्रमाणीकरण के अन्य रूपों से समझौता नहीं किया जाए या किसी अनधिकृत उपयोगकर्ता के साथ साझा नहीं किया जाए।
- कर्जदाता को किसी भी लेन-देन या निर्देश की प्राप्तानिकता को सत्यापित करने का कोई दायित्व नहीं होगा, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्जदार से प्राप्त हुआ है या प्राप्त होने का दावा किया गया है या कर्जदार द्वारा भेजे जाने का दावा किया गया है, वन-टाइम पासवर्ड, एक्सेस कोड या सुरक्षित प्रमाणीकरण के अन्य रूपों के सत्यापन के माध्यम से प्राप्त होने को छोड़कर। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के उपयोग से निर्मित सुविधा के लिए ऑनलाइन निवेदन और वन-टाइम पासवर्ड, एक्सेस कोड या सुरक्षित प्रमाणीकरण के अन्य रूपों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले कर्जदाता के सभी रेकॉर्ड लेन-देन की वास्तविकता और सटीकता का निर्णायक प्रमाण होंगे और कर्जदार पर बाध्यकारी होंगे।
- लोन एग्रीमेंट और स्वीकृति पत्र युक्त एक ईमेल (ईमेल पत्राचार) कर्जदाता द्वारा कर्जदाता के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। कर्जदार की ओर से लेन-देन के दस्तावेजों के लिए किसी भी अलग या कागजी हस्ताक्षर सहित कर्जदार द्वारा स्वीकृति के लिए कोई अन्य/आगे की कार्रवाई, डीड या राइटिंग की आवश्यकता नहीं होगी। कर्जदाता को किसी भी कागजी रूप में एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

में लोन एग्रीमेंट से सहमत हूँ

कर्जदाता का नाम:

दिनांक: समय:

आईपी:

कर्जदार द्वारा हस्ताक्षरित और उसके द्वारा सौंपा गया।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम: जयेश पटेल

**अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन**

**लोन की अनुसूची/सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)**

|          |                              |   |  |
|----------|------------------------------|---|--|
| <b>1</b> | <b>कर्जदाता का नाम</b>       | नाम: पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड<br>पंजीकृत कार्यालय का पता: यूनिट नंबर-601, 6ठीं मंजिल, अमिटी बिल्डिंग, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070, और इसका एक शाखा कार्यालय दिल्ली - शाहदरा में है |  |
| <b>2</b> | <b>क्रियान्वयन का स्थान</b>  | कंपनी मेल (जो वह स्थान होगा जहाँ कर्जदाता ने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं)  |  |
| <b>3</b> | <b>क्रियान्वयन का दिनांक</b> |   |  |
| <b>4</b> | <b>कर्जदार के विवरण</b>      | ए) नाम  |  |
|          |                              | बी) घटक   |  |
|          |                              | सी) पता   |  |
|          |                              | डी) ईमेल एड्रेस   |  |
|          |                              | ई) मोबाइल नं.   |  |
|          | <b>सह-कर्जदारों के विवरण</b> | ए) नाम  |  |
|          |                              | बी) घटक   |  |
|          |                              | सी) पता   |  |
|          |                              | डी) ईमेल एड्रेस   |  |
|          |                              | ई) मोबाइल नं.   |  |
|          |                              | ए) नाम  |  |
|          |                              | बी) घटक   |  |
|          |                              | सी) पता   |  |
|          |                              | डी) ईमेल एड्रेस   |  |
|          |                              | ई) मोबाइल नं.   |  |
|          |                              | ए) नाम  |  |
|          |                              | बी) घटक   |  |
|          |                              | सी) पता   |  |
|          |                              | डी) ईमेल एड्रेस   |  |
|          |                              | ई) मोबाइल नं.   |  |
|          |                              | ए) नाम  |  |
|          |                              | बी) घटक   |  |
|          |                              | सी) पता   |  |
|          |                              | डी) ईमेल एड्रेस   |  |
|          |                              | ई) मोबाइल नं.   |  |
|          |                              | ए) नाम  |  |
|          |                              | बी) घटक   |  |
|          |                              | सी) पता   |  |
|          |                              | डी) ईमेल एड्रेस   |  |
|          |                              | ई) मोबाइल नं.   |  |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | ए) नाम  |  |
|     |  | बी) घटक   |  |
|     |  | सी) पता   |  |
|     |  | डी) ईमेल एड्रेस                                   |  |
|     |  | ई) मोबाइल नं.                                     |  |
|     |  | ए) नाम  |  |
|     |  | बी) घटक   |  |
|     |  | सी) पता   |  |
|     |  | डी) ईमेल एड्रेस                                   |  |
|     |  | ई) मोबाइल नं.                                     |  |
|     |  | ए) नाम  |  |
|     |  | बी) घटक   |  |
|     |  | सी) पता   |  |
|     |  | डी) ईमेल एड्रेस                                   |  |
|     |  | ई) मोबाइल नं.                                     |  |
|     |  | ए) नाम  |  |
|     |  | बी) घटक   |  |
|     |  | सी) पता   |  |
|     |  | डी) ईमेल एड्रेस                                   |  |
|     |  | ई) मोबाइल नं.                                     |  |
| 5.  | लोन राशि   | कुल लोन राशि: रु. (रूपए _____ मात्र)              |  |
| 6.  | लोन की अवधि  |   |  |
| 7.  | ब्याज दर<br>(आरओआई)  | % प्रति वर्ष (फिक्स्ड)                            |  |
| 8.  | चुकौती अनुसूची   | चुकौती अवधि (महीनों में): रु. की समान मासिक किस्त |  |
| 9.  | चुकौती का नियत दिनांक  |   |  |
| 10. | चुकौती की बारंबारता  |   |  |
| 11. | स्वीकृति पत्र  | दिनांक  |  |
| 12. | कर्ज का प्रयोजन और अंतिम उपयोग   |   |  |
|     | कर्ज का प्रयोजन और अंतिम उपयोग   | प्रयोजन:- व्यवसाय                                 |  |
|     |  | अंतिम उपयोग:                                      |  |
|     | कर्जदाता एतद्वारा घोषणा, कथन, वारंट, पुष्टि करता और वचन देता है कि:  |   |  |
|     | (ए) लोन का उपयोग केवल यहाँ वर्णित प्रयोजन के लिए किया जाएगा और लोन के उपयोग के प्रयोजन को लोन की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा। लोन का उपयोग किसी भी अवैध और/या असामाजिक और/या किसी भी सद्वा गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। |   |  |
|     | (बी) उपरोक्त घोषणा का कोई भी उल्लंघन लोन एंट्रीमेंट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और कर्जदाता मेरे/हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसमें शेष लोन को रोकना/लोन वापस लेना शामिल है, जैसा कि कर्जता उचित समझे।    |   |  |

| 13 | <b>A. शुल्क और फीस के भुगतान की अनुसूची:</b>   |  |
|----|--|--|
|    | I. लोन प्रक्रिया शुल्क   | लोन राशि के 5% तक प्रक्रिया शुल्क + लागू कर<br>(लोन के वितरण से पहले देय)  |
|    | II. डिफॉल्ट ब्याज  | 24% प्रति वर्ष यानी डिफॉल्ट के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक ब्रोकन पौरियड के ब्याज/ईएमआई के डिफॉल्ट पर 2% प्रति माह.   |
|    | III. अतिरिक्त शुल्क  | कर्जदार द्वारा लेन-देन के दस्तावेजों के किसी भी नियम और शर्तों का पालन न करने पर बकाया राशि पर 2% प्रति माह, जो ऐसे गैर-अनुपालन के दिनांक से शुरू होने वाली अवधि से लेकर कर्जदाता की संतुष्टि के अनुसार इसे ठीक किए जाने तक की अवधि के लिए + लागू कर लिया जाता है.           |
|    | IV. पूर्व समापन शुल्क  | चुकाई जा रही मूलधन राशि का 5% + लागू कर  |
|    | V. आंशिक भुगतान शुल्क  | चुकाई जा रही मूलधन राशि का 5% + लागू कर<br><br>यूबीएल-फ्लेक्सी के मामले में वितरित राशि के 30% तक के आंशिक भुगतान के लिए आंशिक भुगतान शुल्क लागू नहीं होते हैं. वितरित राशि के 30% से अधिक के आंशिक भुगतान के लिए, जैसा कि वर्णित किया गया है, आंशिक भुगतान शुल्क लागू होगा. |
|    | VI. वितरण/चेक सौंपने के बाद लोन रद्द करना  | रु. 3000 + उपार्जित और देय ब्याज + लागू कर<br>निरस्तीकरण की स्थिति में, ब्याज प्रभार ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा. प्रोसेसिंग फीस, स्टांप ड्यूटी, डॉक्यूमेंटेशन, अप्रतिदेय शुल्क हैं और लोन निरस्तीकरण के मामले में माफ/वापस नहीं किए जाएंगे.                                |
|    | VII. खाता विवरण प्रभार<br>(केवल विवरण की कागजी प्रति के लिए लागू)                            | रु. 500/- + लागू कर  |
|    | VIII. लोन चुकौती अनुसूची<br>(केवल कथन की कागजी प्रति के लिए लागू)                            | रु. 500/- + लागू कर  |
|    | IX. डुप्लिकेट नो ड्यू<br>सर्टिफिकेट जारी करने का शुल्क (केवल कथन की कागजी प्रति के लिए लागू) | रु. 500/- + लागू कर  |
|    | X. ईएमआई दिनांक परिवर्तन   | रु. 1000/- + लागू कर   |
|    | XI. चुकौती खाते की अदला-बदली   | रु. 1000/- + लागू कर   |
|    | XII. चेक बाऊंस शुल्क   | रु. 500/- प्रति मामला + लागू कर  |
|    | XIII. ईएमआई/<br>पीईएमआईआई कलेक्शन<br>चार्जेस (केवल एनपीडीसी मामलों के लिए)                   | 500/- रुपये + लागू कर प्रति माह (वितरण के दिनांक से पहले 3 महीने को छोड़कर)  |
|    | XIV. स्टैम्प ड्यूटी शुल्क  | वास्तविक खर्च पर   |
|    | XV. वसूली से संबंधित   | वास्तविक खर्च पर + लागू कर   |
|    | XVI. कोई भी कानूनी लागत/<br>नोटिस शुल्क  | वास्तविक खर्च पर + लागू कर   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | XVII. वैधानिक शुल्क                            | वास्तविक खर्चों पर + लागू कर  |
|    |  | उपरोक्त वर्णन के अनुसार, आवेदन पर/लोन की अवधि के दौरान लागू शुल्क और प्रभार समय-समय पर संशोधनों के अधीन हैं, जैसा कि कर्जदाता द्वारा अपनी अंतर्गत नीति के अनुसार तय किया जाता है और ऐसे किसी भी संशोधन को कर्जदाता द्वारा अपनी वेबसाइट <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> या अपनी शाखाओं या ऐसे अन्य मीडियम के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिसे कर्जदाता उचित समझे  |
| 14 | आबिट्रेशन की पीठ और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र | आबिट्रेशन की पीठ या स्थान और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस एग्रीमेंट के निष्पादन का स्थान होगा, जैसा कि बिंदु क्र.2 में बताया गया है।   |
| 15 | ग्राहक सेवाएँ                                  | <p>ए) ग्राहक सेवा संबंधी प्रश्न जिसमें दस्तावेजों की आवश्यकता शामिल है, हमारी वेबसाइट <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> पर दिए गए हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से कर्जदाता से संपर्क किया जा सकता है या हमें <a href="mailto:customercare@piramal.com">customercare@piramal.com</a> पर ईमेल किया जा सकता है</p> <p>बी) कर्जदाता की सभी शाखाओं के संबंध में ग्राहक सेवा के लिए शाखा स्थानों और कार्य अवधि के विवरण <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> पर उपलब्ध हैं।</p> <p>सी) अपनी निकटतम शाखा पर कर्जदाता के ग्राहक सेवा अधिकारी से या बिंदु (क) में दिए अनुसार किसी सर्विस चैनल्स के माध्यम से कार्य अवधि के अंदर संपर्क करें:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपि, जो निवेदन के दिनांक से 15 कार्य दिनों में प्रदान की जा सकती है। आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होंगे।</li> <li>2. कर्ज खाता विवरण/ब्यौरा, जो निवेदन की प्राप्ति के 4 कार्य दिनों के अंदर प्रदान किए जा सकते हैं।</li> </ol>  |
| 16 | शिकायत निवारण                                  | <p>ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ कर्जदार प्रदान की जानेवाली सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे मामलों को प्रमुखता से दर्शाने और शिकायत दर्ज करने के लिए कर्जदार निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकता है:</p> <p>ए) कर्जदार <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> पर वर्णित टोल फ्री नंबर के माध्यम से या <a href="mailto:customercare@piramal.com">customercare@piramal.com</a> पर ईमेल करके या व्यवहार की संबंधित शाखा के शाखा प्रचालन प्रबंधक से वेबसाइट पर दिए अनुसार कार्य अवधि के अंदर संपर्क करें।</p> <p>बी) यदि कर्जदार दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या उसकी समस्या का समाधान 15 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो कर्जदार <a href="mailto:customercare@piramal.com">customercare@piramal.com</a> पर अपनी शिकायत आगे बढ़ा सकता है।</p> <p>सी) यदि शिकायत का समाधान 15 दिन की अवधि के बाद भी नहीं हो पाता है तो कर्जदार मामले को “नोडल ऑफिसर – हेतल परिहार”, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड: यूनिट नंबर-601, 6ठीं मंजिल, पीरामल अमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई 400070. संपर्क नं.: 022-71740555, ईमेल: <a href="mailto:nodal.officer@piramal.com">nodal.officer@piramal.com</a>.</p> <p>डी) यदि कर्जदार अब भी जवाब से संतुष्ट नहीं है तो कर्जदार नेशनल हाउसिंग बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से लिंक <a href="https://grids.nhbbonline.org.in">https://grids.nhbbonline.org.in</a> पर ऑनलाइन मोड में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है या नेशनल हाउसिंग बैंक, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, विनियमन एवं निगरानी विभाग, नेशनल हाउसिंग बैंक, 4थीं मंजिल, कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 को लिख सकते हैं।</p> |

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षों ने अनुसूची में उल्लिखित दिन और वर्ष पर इस एग्रीमेंट को निष्पादित किया है।

अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/गठित अटॉर्नी के हाथों से नामित कर्जदाता द्वारा

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षरित और वितरित

हस्ताक्षर: जयेश पटेल

अंदर नामित कर्जदार के लिए हस्ताक्षर और वितरणकर्ता

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

अंदर नामित सह-कर्जदार के लिए हस्ताक्षर और वितरणकर्ता

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

अंदर नामित सह-कर्जदार के लिए हस्ताक्षर और वितरणकर्ता

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

अंदर नामित सह-कर्जदार के लिए हस्ताक्षर और वितरणकर्ता

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

अंदर नामित सह-कर्जदार के लिए हस्ताक्षर और वितरणकर्ता

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

अंदर नामित सह-कर्जदार के लिए हस्ताक्षर और वितरणकर्ता

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

अंदर नामित सह-कर्जदार के लिए हस्ताक्षर और वितरणकर्ता

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

अंदर नामित सह-कर्जदार के लिए हस्ताक्षर और वितरणकर्ता

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

अंदर नामित सह-कर्जदार के लिए हस्ताक्षर और वितरणकर्ता

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

अंदर नामित सह-कर्जदार के लिए हस्ताक्षर और वितरणकर्ता

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

## यूज़ कार लोन

### लोन की अनुसूची/सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

|    |  |  |                       |  |
|----|--|--|-----------------------|--|
| 1. | कर्जदाता का नाम  | नाम: पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर-601, 6ठीं मंजिल, एमिटी बिल्डिंग, अगरत्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070<br>CIN: L65910MH1984PLC032639 पर है और इसका एक शाखा कार्यालय है |                       |  |
| 2. | क्रियान्वयन का स्थान   | दिल्ली (जो वह स्थान होगा जहाँ कर्जदाता ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं)   |                       |  |
| 3. | क्रियान्वयन का दिनांक  | वह दिनांक होगा जिस दिन कर्जदाता ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं   |                       |  |
| 4. | कर्ज का प्रयोजन और अंतिम उपयोग   |  |                       |  |
|    | कर्ज का प्रयोजन और अंतिम उपयोग   |  | प्रयोजन:              |  |
|    |  |  | अंतिम उपयोग:          |  |
|    | कर्जदाता एतद्वारा घोषणा, कथन, वारंट, पुष्टि करता और वचन देता है कि:  |  |                       |  |
|    | (ए) लोन का उपयोग केवल यहाँ वर्णित प्रयोजन के लिए किया जाएगा और लोन के उपयोग के प्रयोजन को लोन की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा. लोन का उपयोग किसी भी अवैध और/या असामाजिक और/या किसी भी सद्वा गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा. |  |                       |  |
|    | बी) उपरोक्त घोषणा का कोई भी उल्लंघन लोन एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और कर्जदाता मेरे/हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसमें शेष लोन को रोकना/लोन वापस लेना शामिल है, जैसा कि कर्जता उचित समझे.      |  |                       |  |
| 5. | कर्जदार के विवरण   | ए)   | नाम                   |  |
|    |  | बी)  | घटक                   |  |
|    |  | सी)  | पता                   |  |
|    |  | डी)  | ईमेल एड्रेस           |  |
|    |  | ई)   | मोबाइल नं.            |  |
| 6. | सह-कर्जदारों के विवरण  | ए)   | नाम                   |  |
|    |  | बी)  | घटक                   |  |
|    |  | सी)  | पता                   |  |
|    |  | डी)  | ईमेल एड्रेस           |  |
|    |  | ई)   | मोबाइल नं.            |  |
| 7. | संपत्ति का विवरण   | ए)   | लोन की आवश्यकता:-     |  |
|    |  | बी)  | मेक, मॉडल और वैरिएंट: |  |
|    |  | सी)  | रजिस्ट्रेशन नं.:      |  |
|    |  | डी)  | पंजीकरण का वर्ष:      |  |
|    |  | ई)   | ओनरशिप नं.:           |  |
|    |  | एफ)  | चेसिस नं.:            |  |
|    |  | जी)  | इंजन नं.:             |  |
|    |  | लोन के सफल समापन पर, लोन समापन तिथि से 30 दिनों के भीतर फॉर्म 35 और एनओसी जारी/सौंप दिया जाएगा. यदि कर्जदारों ने कर्जदाता द्वारा वित्तोषित इस संपत्ति के प्रति कोई अन्य लोन लिया है, तो फॉर्म 35 और एनओसी सभी लिंक किए गए लोन्स के सफल समापन पर जारी किया जाएगा, जहाँ भी लागू हो.  |                       |  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | लोन पर समापन के लिए अनुरोध करते समय लोन मूल शाखा या कर्जदार की पसंद के अनुसार किसी अन्य शाखा से फॉर्म 35 और एनओसी एकत्र किया जा सकता है।  |
| 8.  | लोन राशि   | <p>ए) स्वीकृत राशि: रु.<br/>(रुपये मात्र)</p> <p>बी) वित्तपोषित मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम रु.<br/>(रुपये मात्र)</p> <p>सी) वित्तपोषित लोन इंश्योरेंस प्रीमियम रु.<br/>(रुपये मात्र)</p> <p>डी) व्यक्तिगत दुर्घटना प्रीमियम: रु.<br/>(रुपये मात्र)</p> <p>ई) कुल लोन राशि: रु.<br/>(रुपए मात्र)</p>   |
| 9.  | ब्याज दर<br>(आरओआई)  | % प्रति वर्ष (निश्चित)  |
| 10. | पुनर्भुगतान<br>अनुसूची / आवृत्ति   | <p>मासिक, यानी</p> <p>पुनर्भुगतान अवधि (महीनों में):</p> <p>समान मासिक किस्त रु.</p>  |
| 11. | लोन आवेदन पत्र<br><br>स्वीकृति पत्र  | <p>संख्या:<br/>दिनांक:<br/><br/>दिनांक:</p>   |
| 12. | ए. शुल्क और फीस के भुगतान की अनुसूची: आवेदन पर / कर्ज की अवधि के दौरान लागू होने वाले शुल्क और प्रभार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समय-समय पर कर्जदाता द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार तय किए गए संशोधनों के अधीन हैं और ऐसे किसी भी संशोधन को कर्जदाता द्वारा अपनी वेबसाइट <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> या अपनी शाखाओं या ऐसे अन्य मीडियम के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिसे कर्जदाता उचित समझे। |   |
|     |  | लोन प्रक्रिया शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी वितरण के समय लोन राशि से काट लिए जाएंगे।  |
|     | (i) लोन प्रसंस्करण शुल्क   | लोन राशि के 5% तक + लागू कर   |
|     | (ii) दस्तावेजीकरण शुल्क  | प्रति मामला 1000/- रुपये तक + लागू कर   |
|     | (iii) दस्तावेजों की फोटोकॉपी   | लागू नहीं   |
|     | (iv) कार मूल्यांकन/निरीक्षण शुल्क  | प्रति मामला 1500/- रुपये + लागू कर  |
|     | (v) पूर्व समापन पत्र शुल्क   | 500/- रुपये + लागू कर   |
|     | (vi) पूर्व भुगतान / समापन शुल्क  | <p>पूर्व भुगतान शुल्क: लागू नहीं</p> <p>लोन का समापन: बकाया लोन राशि का 5%</p>  |
|     | vii) दंडात्मक शुल्क  | <ol style="list-style-type: none"> <li>चूक के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक पीईएमआईआई / ईएमआई की चुकौती नहीं करने पर 24% प्रति वर्ष यानी 2% प्र.म. + लागू कर</li> <li>अनुपालन नहीं करने के दिनांक से लेकर उसकी दुरुस्ती करने तक की अवधि के लिए कर्जदाता की संतुष्टि के अनुसार कर्जदार द्वारा नीचे वर्णन के अनुसार किसी भी नियम व शर्तों के गैर-अनुपालन के लिए 2% प्र.म.+ कर</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>निम्नलिखित घटनाओं/क्रियाओं में किसी या सभी का होना लोन अनुबंध के नियमों व शर्तों का वस्तुनिष्ठ उल्लंघन माना जाएगा और इस पर दंडात्मक शुल्क लगेगा</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अनुबंध में दिए गए नियत दिनांक पर या पहले अनुबंध के अंतर्गत पूर्ण या किसी अन्य बकाया राशि में देय बकाया राशि या ईएमआई में चूक करना या भुगतान न करना</li> <li>● सिक्योरिटी का निर्माण न करना और/या कर्जदार की ओर से एग्रीमेंट या लेन-देन दस्तावेजों में निर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय अवधि के भीतर आरसी पर कर्जदाता के ग्रहणाधिकार को नोट करने में विफलता.</li> <li>● कर्जदार के नाम पर विधिवत हस्तांतरित गैर जमा मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र, इंश्योरेंस प्रति और एग्रीमेंट के तहत निर्धारित समय के भीतर संपत्ति की ड्रूप्लिकेट चाबी</li> <li>● यदि कर्जदार समय-समय पर कर्जदाता द्वारा आवश्यक किसी भी जानकारी/दस्तावेज/पीडीसी/एनएसीएच को कर्जदाता को प्रस्तुत करने में विफल रहता है</li> <li>● लोन आवेदन या कर्जदाता को दिए गए फायनांशियल्स में कर्जदार द्वारा दी गई कोई जानकारी और/या वित्तीय सहायता के लिए कर्जदाता को दिया गया कोई अन्य दस्तावेज/ प्रमाणपत्र/ रसीद/ कथन भ्रामक या गलत पाया जाता है</li> <li>● यदि कर्जदार लोन राशि या उसके किसी हिस्से को लोन के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए दुरुपयोग किया जाता है या यदि जिस प्रयोजन के लिए लोन लिया गया है, वह अवैध हो जाता है</li> <li>● एनएसीएच अनुदेश या एनएसीएच अनुदेश के निरस्तीकरण को प्रस्तुत नहीं करने के लिए अनुबंध/कर्जदार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत किसी मोड के भुगतान को रोकने के लिए कर्जदाता को दिए गए किसी निर्देश के अंतर्गत किसी भुगतान के निर्देश का अनादर होना</li> <li>● लेनदेन दस्तावेजों की शर्तों के अंतर्गत कर्जदाता द्वारा की गई किसी मांग से कम भुगतान करना</li> <li>● यदि सिक्योरिटी या उसका कोई भाग खो जाता है, निपटाया जाता है, उपहार में दिया जाता है, या मूल्य में कमी आती है और कर्जदार सिक्योरिटी कवर को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है, या कर्जदाता द्वारा तय किए अनुसार सिक्योरिटी या उसके किसी भाग पर कोई कुर्की या ज़ब्ती लगाई जाती है या यदि प्रदान की गई सिक्योरिटी ब्याज स्वरूप में अप्रवर्तनीय हो जाती है</li> <li>● यदि कर्जदाता से पूर्व लिखि सहमति के बिना सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का कोई हिस्सा किराए पर दिया जाता है, लीव एंड लाइसेंस पर दिया जाता है, बेचा, निपटाया जाता है, प्रभारित किया जाता है, भार ग्रस्त किया जाता है या अन्यथा किसी भी तरह से पृथक किया जाता है</li> </ul> |
| (viii) संवितरण/चेक हैंडओवर के बाद कर्ज रद्द करना                                     | रु. 5,000 + अर्जित और देय ब्याज + लागू कर  |
| (ix) खाता शुल्क का विवरण   | रु. 500/- + लागू कर प्रति मामला  |
| (x) पेट्रोल से एलपीजी/सीएनजी में रूपांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और इसके विपरीत | रु.5000/- प्रति मामला + लागू कर  |
| (xi) कोई भी ड्रूप्लिकेट एनओसी  | रु.500/- + लागू कर प्रति मामला   |
| (xii) लोन की चुकौती अनुसूची (केवल कागजी प्रतियों के लिए लागू)                        | रु.500/- + लागू कर प्रति मामला   |
| (xiii) पुनर्भुगतान खाते की अदला-बदली   | रु.1000/- प्रति मामला  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | (xiv) ईएमआई दिनांक परिवर्तन शुल्क                                 | रु.1000/- प्रति मामला   |
|   | (xv) वैधानिक शुल्क  | वास्तविक + लागू कर  |
|   | (xvi) स्टाम्प ड्यूटी शुल्क  | वास्तविक + लागू कर  |
|   | (xvii) आरटीओ शुल्क  | रु.10,000 + लागू कर   |
|   | (xviii) प्रशासनिक शुल्क   | रु.5,000 तक + लागू कर   |
| <b>B. कलेकशन और कानूनी शुल्क</b>  |   |   |
|   | (i) लोन चुकौती इंस्ट्रूमेंट डिसॉनर शुल्क                          | रु. 750/- प्रति मामला   |
|   | (ii) कानूनी नोटिस शुल्क   | वास्तविक खर्च पर + लागू कर  |
|   | (iii) पुनः कब्जा शुल्क  | न्यूनतम रु. 15,000/- या वास्तविक, जो भी अधिक हो + लागू कर   |
|   | (iv) ईएमआई/पीईएमआईआई कलेकशन चार्जेस (केवल एनपीडीसी मामलों के लिए) | रु. 500/- + लागू कर प्रति उदाहरण (वितरण के दिनांक से पहले 3 महीने को छोड़कर)  |
|   | (v) पार्किंग यार्ड शुल्क  | वास्तविक खर्च पर + लागू कर  |
|   | (vi) पुनः कब्जा की गई संपत्ति के लिए रखरखाव शुल्क                 | वास्तविक खर्च पर + लागू कर  |
| <b>C. सभी लागू कर, शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, सरकारी शुल्क और विनियामकों द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य शुल्क उपरोक्त शुल्कों से बाहर रखे गए हैं.</b> |   |   |
| 13.   | आर्बिट्रेशन की सीट और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र                  | आर्बिट्रेशन की सीट या स्थान और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस समझौते के क्रियान्वयन का स्थान होगा जैसा कि बिंदु संख्या 2 में बताया गया है.   |
|   | ग्राहक सेवाएँ:  | <p>1. ग्राहक सेवा संबंधी प्रश्न जिसमें दस्तावेजों की आवश्यकता शामिल है, हमारी वेबसाइट <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> पर दिए गए हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से कर्जदाता से संपर्क किया जा सकता है या हमें <a href="mailto:customercare@piramal.com">customercare@piramal.com</a> पर ईमेल किया जा सकता है</p> <p>2. कर्जदाता की सभी शाखाओं के संबंध में ग्राहक सेवा के लिए शाखा स्थानों और कार्य अवधि के विवरण <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> पर उपलब्ध हैं.</p>  |
|   | शिकायत निवारण:  | <p>ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ कर्जदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं है। ऐसे मामलों को उजागर करने और शिकायत दर्ज करने के लिए कर्जदाता निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकता है:</p> <p>1. कर्जदाता <a href="http://www.piramalfinance.com">www.piramalfinance.com</a> पर वर्णित टोल फ्री नंबर के माध्यम से या <a href="mailto:customercare@piramal.com">customercare@piramal.com</a> पर ईमेल करके या व्यवहार की संबंधित शाखा के शाखा प्रचालन प्रबंधक से वेबसाइट पर दिए अनुसार कार्य अवधि के अंदर संपर्क करें।</p> <p>2. यदि कर्जदाता दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या उसकी समस्या का समाधान 15 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो कर्जदाता <a href="mailto:grievances@piramal.com">grievances@piramal.com</a> पर अपनी शिकायत आगे बढ़ा सकता है।</p> <p>3. यदि शिकायत का समाधान 15 दिन की अवधि के बाद भी नहीं हो पाता है तो कर्जदाता मामले को “नोडल ऑफिसर – हेतल परिहार”, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड: यूनिट नंबर-601, 6ठीं मंजिल, पीरामल अमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई 400070, संपर्क नं.: 022-71740555, ईमेल: <a href="mailto:nodal.officer@piramal.com">nodal.officer@piramal.com</a>.</p> |

4. यदि कर्जदार अब भी जवाब से संतुष्ट नहीं है तो कर्जदार नेशनल हाउसिंग बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से लिंक <https://grids.nhbbonline.org.in> पर ऑनलाइन मोड में अपनी शिकायता दर्ज कर सकता है या नेशनल हाउसिंग बैंक, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, विनियमन एवं निगरानी विभाग, नेशनल हाउसिंग बैंक, 4थीं मंजिल, कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 को लिख सकते हैं।